195

संख्या–1891 /xxiv(7)/2014–08(2)/13

प्रेषक,

डा0उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी,नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 14 जुलाई, 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–2015 में राजकीय महाविद्यालय खटीमा (उधमसिंहनगर) में पी0जी0, बी0एड0 एवं बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 902/XXiV(7)–08(2)/2013 दिनांक 31.03.2013 एवं आपके के कार्यालय के पत्र संख्या डिग्री विकास/2743 /2014–15 दिनांक 03.06.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजकीय महाविद्यालय खटीमा (उधमसिंहनगर) में पी0जी0 भवन, बी0एड0 कक्षाओं, एवं बहुउद्देशीय भवन निर्माण के कार्यों हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 401.68 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 301.68 लाख के विरूद्ध रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त तीन दिन के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

4– निदेशक उच्च शिक्षा, कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व कार्यदायी संस्था से एक सप्ताह में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के विरुद्ध एकेडिमिक रिक्वायरमेंट के अनुरुप समय सारणी अनुसार कार्य पूर्ण करने की लिखित सहमति प्राप्त कर लेगें। यदि लिखित समयावधि के अर्न्तगत कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो, एक माह का ग्रेस पीरियड देते हुये कार्यदायी संस्था से 5 प्रतिशत आर्थिक जुर्माना वसूला जायेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर कार्यदायी संस्था को काली सूची में सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

.....2/

6– उक्त निर्माण कार्य में आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्क्चर, जो भू वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार प्राविधानित किया गया है, के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा सुसंगत अभिलेखों में तकनीकी पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था के माध्यम से कराते हुये समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित कर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। उक्त की रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जायेगा।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेल कूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–आयोजनागत–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/नये भवन निर्माण (एस.पी.ए.)–24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/xxvii(1) /2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृ0संख्या– 1891 (1)/xxiv(7)/2014–08(2)/13तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल।
3–जिलाधिकारी नैनीताल।
4–कोषाधिकारी हल्द्वानी–नैनीताल।
5–निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6–परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि., नैनीताल।
7–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय खटीमा।
8–निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय उत्तराखण्ड।
9–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय देहरादून।
10–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
11–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।